रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2017/आषाढ़ 20, 1939
No. 277] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2017/ ASADHA 20, 1939

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

गुजरात, 4 जुलाई, 2017

सं. 2-4/2009-प्रशा./1241.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

अध्यादेश 23

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश

(परिसर प्रणाली पर नियमित तौर पर)

अधिनियम खण्ड 6(xvii), 28(1)(ए)

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

2. विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख प्रत्येक वर्ष अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

3. विश्वविद्यालय के स्कूलों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

4. विश्वविद्यालय के स्कूलों में आगामी सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक वर्ष अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित होगी।

5. विद्यार्थियों का प्रवेश, लिखित/मौखिक परीक्षा/ सामूहिक चर्चा/ साक्षात्कार या इनके संयोजन से अखिल भारतीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जहाँ भी लागू हो, के माध्यम से, उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनके ज्ञान, समझ एवं योग्यता का सख्ती से आंकलन करते हुए वरियताक्रम (मेरिट) के आधार पर होगा।

6. हालांकि, बशर्ते उन पाठ्यक्रमों के मामले में, जहाँ विद्यार्थियों की प्रवेश सीमा कम हो, अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राप्त वरियताक्रम (मेरिट) के आधार पर प्रवेश होगा। इस आशय का निर्णय स्कूल बोर्ड की अनुशंसा पर अकादमिक परिषद द्वारा लिया जाएगा।

7. प्रवेश परीक्षा मुख्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट स्थानों पर आयोजित की जाएगी।

8. किसी प्रवेश परीक्षा के दौरान, अभ्यर्थी, परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त मुख्य अधीक्षक के नियंत्रण में होंगे, जिसके परीक्षा के आयोजन पर निर्देश अंतिम व बाध्य होंगे।

9. यदि कोई अभ्यर्थी निर्देशों का पालन नहीं करता है या निरीक्षक स्टाफ के किसी भी सदस्य के साथ या केन्द्र पर किसी भी पर्यवेक्षक के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसे परीक्षा से बहिष्कृत किया जा सकता है।

10. मुख्य अधीक्षक किसी ऐसे मामले के तथ्यों को साक्ष्य के संपूर्ण विवरण के साथ परीक्षा नियंत्रक को पेश करेगा, जो उक्त मामले को परीक्षा अनुशासन समिति को आगे की उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित करेगा।

11. परीक्षाओं के दौरान अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य हेतु अध्यादेश के संबंधित प्रावधान, जहाँ भी लागू हो, प्रवेश परीक्षा में लागू होंगे।

12. प्रवेश परीक्षा का पाठ्य विवरण, प्रारूप, अवधि, मूल्यांकन की योजना प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित होगी एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित होगी।

13. विभिन्न विभागों / केन्द्रों के कार्यक्रमो में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हताएं, विनियमों के द्वारा प्रदान की गयी छूट की दशा में, स्कूल के अधिष्ठाता / केन्द्र के अध्यक्ष के साथ प्रत्येक वर्ष विचार-विमर्श कर, अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित होगी।

14. प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों में बराबर/ब्रैकेट के मामले में, अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंक मेरिट का निर्धारण करने के लिए विचार में रखे जाएंगे।

15. केवल वे अभ्यर्थी, जो राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय / मण्डल की परीक्षा अथवा राज्य / केन्द्र सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समतुल्य परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हों, प्रवेश के लिए विचार किये जाएंगे।

16. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों में 15% सीट अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए, $7^{1}/_{2}$% अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए तथा 27% अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी।

बशर्ते कि यह खण्ड विश्वविद्यालय को औरतों, दिव्यांगों अथवा समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्ति, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के प्रवेश के लिए नाए जाने वाले विशेष प्रावधानों से रोकने के लिए नहीं माना जाएगा।

बशर्ते यह भी कि मूल निवास के आधार पर कोई भी ऐसा विशेष प्रावधान नहीं बनाया जाएगा।

17. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाओं का आरंभ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी "उपाधि प्रदान करने के लिए निर्देशों के न्यूनतम मापदण्ड" एवं उसमें समय-समय जारी किए गये संशोधनों के द्वारा शासित होगा।

18. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

19. किसी अभ्यर्थी के स्कूल के कार्यक्रम में विद्यार्थी के रूप में, उसके पंजीकरण पर प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की अदायगी के पश्चात् होगा।

20. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने प्रवेश निश्चित करने के लिए मिथ्या अथवा गलत विवरण दिया है अथवा धोखाधड़ी के साधनों का प्रयोग किया है तो विश्वविद्यालय के रोल से उसका नाम हटा दिया जाएगा।

अध्यादेश 25

उच्च शिक्षा में रैगिंग की बुराई की रोकथाम

[अधिनियम के अनुभाग 28(एन)]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी एवं समय-समय पर संशोधित अधिनियम "उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराई की रोकथाम (2009)" के तहत रैगिंग निषिद्ध एवं दण्डनीय है।

अध्यादेश 29

परीक्षाओं/उपाधियों की पहचान के लिए समतुल्यता समिति

[अधिनियम की धारा 28(1) (ओ)]

संरचना

निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर समतुल्यता समिति होगीः

(1)	उपकुलपति या कुलपति द्वारा नामित व्यक्ति	अध्यक्ष
(2)	स्कूल के अधिष्ठाता	सदस्य
(3)	अकादमिक परिषद द्वारा इसके सदस्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित एक व्यक्ति	सदस्य
(4)	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
(5)	कुलसचिव	सचिव

कार्यः

इस समिति के कार्य निम्नानुसार होंगेः

1. विदेशी विश्वविद्यालयों सहित समय-समय पर होने वाले ऐसी संदर्भित परीक्षाओं/उपाधियों की तुल्यता की जांच करना और अकादमिक परिषद को इसकी अनुशंसा करना ।

2. किसी भी परीक्षा/उपाधि को उपयुक्त कारणों से और उपयुक्त समय पर रोकने, निलंबन या रद्दीकरण/मान्यता हेतु अकादमिक परिषद को अनुशंसा करना ।

3. समिति अपने कर्तव्यों के पालन में सहायता के लिए, जहाँ आवश्यक हो, क्षेत्र विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकती है ।

कार्य के नियम

समिति, कार्य के नियम और दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी और अकादमिक परिषद के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। इसके एवज में अकादमिक परिषद, अपनी कोई भी शक्ति, समतुल्यता समिति को सौंप सकती है।

अध्यादेश 30

विद्यार्थियों का प्रवेश, पंजीकरण, प्रवासन एवं स्थानांतरण

[अधिनियम की धारा 28 (ओ)]

1. कोई भी विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से प्रवासन पर अध्ययन के किसी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अध्यादेशों द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय या बोर्ड की समकक्ष परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

बशर्ते कि प्रवेश के लिए आवेदन पत्र निम्न के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है-

(अ) संबंधित विश्वविद्यालय से प्रवजन/ अनापत्ति प्रमाण पत्र, तथा

(ब) संस्थानों के प्रधान से एक प्रमाण-पत्र, जिसमें विद्यार्थी के अंतिम अध्ययन का उपस्थिति रिकॉर्ड एवं आचरण का साक्ष्य हो।

किसी विद्यार्थी को अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के दौरान एक से दूसरे संबद्ध महाविद्यालय (जहाँ भी लागू हो) में स्थानांतरण की अनुमति केवल निम्नलिखित को प्रस्तुत करने पर दी जाएगीः

(1) महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण/ अनापत्ति प्रमाण पत्र, जहां से प्रवासन चाहा गया है,

(2) संबंधित महाविद्यालय के विद्यार्थियों की पंजिका में उसके नाम के समक्ष उपस्थिति की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियांय तथा

(3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से विद्यार्थी के आचरण के साक्ष्य का प्रमाण-पत्र

अध्यादेश 31

अधिष्ठाता समिति

[अधिनियम के खण्ड 28 (1) व (ओ)]

1. विश्वविद्यालय अधिष्ठाताओं की एक समिति गठित करेगा जो अधिष्ठाता समिति के रूप में जानी जाएगी।

2. अधिष्ठाता समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः

1)	कुलपति	—अध्यक्ष (पदेन)
2)	स्कूलों के सभी अधिष्ठाता	—सदस्य (पदेन)
3)	कुलसचिव	—सचिव

3. समिति के कर्तव्य निम्नानुसार होंगेः

अ. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की अनुशंसा करना।

ब. परीक्षाओं के आयोजन, परिणामों के मानक आदि से उत्पन्न हुए मामले, जो आवश्यक हैं, पर विचार करना।

स. स्कूल एवं केन्द्र के कामकाज से संबंधित सामान्य प्रशासनिक मामलों पर विचार करना।

द. ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो उसे कार्यकारी परिषद द्वारा सौंपे गए है या कुलपति द्वारा भेजे गये हैं।

4. अधिष्ठाता समिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएंगी।

5. समिति की गणपूर्ति कुल संख्या की एक-तिहाई होगी।

6. बैठकों के आयोजन के नियम इस संबंध में विनियमों के द्वारा निर्धारित होंगे।

अध्यादेश 32

प्रवेश समिति

[धारा 6 (xviii)]

विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक प्रवेश समिति होगी। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः

(1) प्रवेश समिति का अध्यक्ष - कुलपति द्वारा नामित

(2) प्रत्येक केन्द्र/स्कूल से संकाय सदस्य - अधिष्ठाता द्वारा नामित

(3) शिक्षण समुदाय सेे एससी/एसटी/ओबीसी/महिला और अल्पसंख्यक, प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, यदि उपरोक्त सदस्यों द्वारा पहले से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया हो - कुलपति द्वारा नामित

उक्त समिति अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रवेश को देखेगी।

अध्यादेश-33

छात्रों का अनुशासन

[खण्ड 6(xxii) संविधि 28(1)]

1. अनुशासन में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अच्छे आचरण का अवलोकन तथा उनका व्यवस्थित व्यवहार शामिल है।

2. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी निम्नलिखित नियमों तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर बनाये गये अन्य नियमों का सख्ती से पालन करेंगे -

2.1 विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी सभी स्थलों पर अनुशासन बनाये रखने तथा शालीनता से व्यवहार करना अपना कर्तव्य समझेंगे।

2.2 कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों के लिये घोषित "सीमा से बाहर" के स्थलों अथवा क्षेत्रों में भ्रमण नहीं करेगा।

2.3 प्रत्येक विद्यार्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपना पहचान पत्र साथ में रखेगा।

2.4 प्रत्येक विद्यार्थी को, जिसे पहचान पत्र जारी किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा जब कभी भी आवश्यक हो, अपना पहचान पत्र दिखाना होगा अथवा सौंपना होगा।

2.5 कोई विद्यार्थी प्रतिरूपण अथवा मिथ्या नाम बताने का दोषी पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।

2.6 पहचान पत्र खोने पर, जब भी ऐसा होता है, सक्षम प्राधिकारी को तुरंत लिखित में सूचित करना होगा, तथा

2.7 यदि कोई विद्यार्थी एक अथवा अधिक कक्षाओं में बिना किसी सूचना के 15 दिन से अधिक अवधि तक लगातार अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसका नाम रोल से काट दिया जायेगा। हालांकि, अगले पखवाड़े के अंदर निर्धारित पुनःप्रवेश शुल्क आदि जमा करवाने पर अधिष्ठाता द्वारा उसका पुनः प्रवेश दिया जा सकता है।

3. अनुशासन में शामिल होगा:

3.1 उपस्थिति में अनियमितता, सौंपे गये कार्य की ओर लगातार आलस्य अथवा लापरवाही अथवा उदासीनता।

3.2 किसी कक्षा अथवा कार्यालय अथवा पुस्तकालय, ऑडिटोरियम तथा खेल मैदान में अशांति के कारण

3.3 शिक्षक अथवा प्राधिकारी के दिशा-निर्देशों की अवज्ञा करना।

3.4 छात्र निकायों के चुनाव के समय अथवा बैठकों में अथवा विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम गतिविधियों या अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि के दौरान किसी भी प्रकृति का दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार।

3.5 परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार।

3.6 विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक अथवा किसी कर्मचारी अथवा विश्वविद्यालय के आगंतुक से किसी प्रकार का दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार।

3.7 विश्वविद्यालय की संपदा/ उपकरणों को क्षति पहुँचाना, खराब करना अथवा विरूपित करना।

3.8 किसी अन्य को उपरोक्त वर्णित किसी कार्य को करने के लिए उकसाना।

3.9 भ्रामक लेखों का प्रचार करना अथवा विद्यार्थियों के बीच अफवाह फैलाना।

3.10 छात्रावास के रहवासियों/ विद्यार्थियों द्वारा शरारत, दुर्व्यवहार तथा/ अथवा उपद्रव करना।

3.11 विद्यार्थियों के लिये घोषित "सीमा से बाहर" के स्थलों अथवा क्षेत्रों में भ्रमण करना।

3.12 कुलानुशासक द्वारा जारी पहचान पत्र को अपने पास नहीं रखना।

3.13 कुलानुशासक तथा विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों द्वारा, आवश्यक होने पर पहचान पत्र दिखाने अथवा सौंपने से इंकार करना।

3.14 जाति, श्रेणी, धर्म, नस्ल के आधार पर यौन उत्पीड़न, रैगिंग अथवा भेदभाव का किसी भी रूप में कोई कृत्य।

3.15 प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता लेना, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना बैठक एवं जुलूस आयोजित करना आदि सहित गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होना।

3.16 किसी भी स्थान पर अन्य कृत्य को करना, जो एक विद्यार्थी के लिए अनुपयुक्त हो।

4. अनुशासन तोड़ने के दोषी पाये जाने वाले विद्यार्थी निम्नलिखित निर्धारित दण्ड के भागी होंगे -

4.1 जुर्माना

4.2 परिसर में प्रतिबंध

4.3 निर्वासन, तथा

4.4 विनिष्कासन

हालांकि, दोषी विद्यार्थी पर उक्त दण्ड तब तक नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि उसे अपने बचाव में बोलने का एक उचित मौका न दे दिया जाये। यह कुलपति को उसके विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान दोषी छात्र के निलंबन को नहीं रोक सकता है।

5. विद्यार्थियों के संबंध में अनुशासन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित शक्तियाँ कुलपति में निहित होती है। हालांकि, कुलपति अपनी सभी अथवा कुछ शक्तियाँ, जो वह ठीक समझे, सक्षम अधिकारी को अथवा अनुशासन समिति को, जैसी भी स्थिति हो, अथवा विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को सौंप सकता है।

6. (1) अनुच्छेद 11(5) तथा संविधि 28(1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर एक अनुशासन समिति गठित की जाएगी -

(1) कुलपति का प्रतिनिधि अथवा सम-कुलपति

(2) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

(3) स्कूलों के अधिष्ठाता

(4) वार्डन, जिन्हें तब आमंत्रित किया जायेगा, जब उनके हॉल ऑफ रेजिडेंस से सबंधित मामला समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना आवश्यक हो।

(5) कुलानुशासक (सदस्य/ सचिव)

(2) अधिनियम तथा संविधि द्वारा कुलपति को प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए, उक्त समिति को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अनुशासन तथा उनके व्यवहार से संबंधित सभी मामलों का संज्ञान लेना चाहिये तथा समिति, जो वह उचित समझे, दोषी को दण्ड देने की शक्ति उसमें निहित होगी।

(3) उक्त समिति अपने कार्य निष्पादन के लिये, जैसा वह उपयुक्त समझे, वैसा नियम बना सकती है तथा वे नियम तथा उन नियमों के अन्य आदेश विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों पर बाध्य होंगे।

(4) अनुशासन समित की अनुशंसा कुलपति को सौंपी जानी चाहिये जिनका निर्णय अंतिम होगा। हालांकि, यदि कुलपति का मत हो कि उक्त मामले की समीक्षा की जानी है, तो वह उक्त मामले को पुनः विचारार्थ अनुशासन समिति को वापस भेज सकता है।

(5) कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य उक्त समिति की एक बैठक के लिये गणपूर्ति का निर्माण करेंगे।

अध्यादेश 34

आगंतुक प्राध्यापक

[धारा 6 (xvi), संविधि 12 (xviii)]

1. एक आगंतुक प्राध्यापक अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित शोधार्थी होना/ होनी चाहिए। सामान्यतः एक व्यक्ति जो प्रोफेसर के पद पर हो या रह चुका हो अथवा वह व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय क्षेत्र से बाहर सम्मान / विशेषता प्राप्त कर चुका हो, उसे आगंतुक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

2. आगंतुक प्राध्यापक की नियुक्ति की अधिकतम अवधि दो वर्ष और न्यूनतम अवधि तीन महीने से कम नहीं होगी।

3. विश्वविद्यालय एक आगंतुक प्राध्यापक के रूप में एक व्यक्ति की 70 वर्ष की आयु तक नियुक्ति कर सकता है।

4. एक प्राध्यापक को उसी विश्वविद्यालय में एक आगंतुक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें वह सेवानिवृत्ति के पहले या तुरंत बाद में पद ग्रहण करता है।

5. यदि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति एक आगंतुक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे सेवानिवृत्ति लाभ को छोड़कर अधिकतम रूपये 15,000/- का मानदेय देय होगा।

6. देश के बाहर से आगंतुक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति को रूपये 20,000/- प्रतिमाह का मानदेय भुगतान किया जाएगा।

7. यदि किसी भारतीय विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्ति को आगंतुक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो देय मानदेय वेतन के आधार पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और अन्य भत्ते के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए, यदि कोई स्वीकार्य (वाहन भत्ता को छोड़कर, यदि कोई हो) मूल-विश्वविद्यालय की दरों के अनुसार होगा। प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय पेंशन लाभ या सामान्य नियमों के अनुसार सीपीएफ/जीपीएफ के लिए योगदान करेगा।

8. यह अपेक्षित है कि जब एक कार्यरत व्यक्ति को आगंतुक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो मूल विश्वविद्यालय उसे बिना वेतन के कर्तव्य अवकाश देगा।

9. यदि स्थायी तौर पर विदेश में काम करने वाले किसी व्यक्ति को आगंतुक प्राध्यापक के रूप में आमंत्रित किया जाता है, तो विश्वविद्यालय अपने नियमों के अनुसार भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की लागत का भुगतान कर सकता है।

10. मेजबान विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि गृह आवास निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, लेकिन आगंतुक प्राध्यापक द्वारा भोजन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

11. यात्रा मानदेय एवं अन्य भत्ते युजीसी/ एमएचआरडी के समय-समय पर संशोधित विनियमों तथा शर्तों द्वारा शासित होंगे।

अध्यादेश 35

खेल व खेलकूद समिति

[धारा 28 (1)]

1. (अ) खेल व खेलकूद समिति निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनी होगी, जो हैः

1. अध्यक्ष, कुलपति द्वारा नियुक्त

2. छात्र कल्याण अधिष्ठाता

3. विभिन्न खेल व खेलकूद क्लबों के अध्यक्ष

4. एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित रोल पर विद्यार्थियों में से एक उत्कृष्ट खिलाड़ी।

5. शारीरिक शिक्षा के निदेशक, जो खेल और खेलकूद समिति के पदेन सचिव होंगे।

(ब) समिति के अध्यक्ष, दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

2. समितिः

1. विश्वविद्यालय के खेल और खेलकूद की व्यवस्था और निगरानी करेगी तथा इस संबंध में अधिनियम बनाएगी।

2. खेल और खेलकूद के लिए बजट तैयार करेगी।

3. विभिन्न क्लबों के लिए वित्त आवंटित करेगी।

4. खेल मैदानों, व्यायामशाला, विश्वविद्यालय के स्विमिंग पूल्स की देखरेख करेगी।

5. प्रतियोगिताओं, स्पर्धाओं, टूर्नामेंट, एथलेटिक बैठक आदि को देखेगी।

6. प्रवेश के लिए नामांकित होने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम कुलपति को संस्तुति के लिए देगी।

7. ऐसे अन्य कार्यों को करेगी, जो अकादमिक परिषद द्वारा उसे समय-समय पर दिया जा सकता है।

8. विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेल प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए कदम उठाएगी।

छात्र कल्याण अधिष्ठाता की देखरेख में निदेशक, शारीरिक शिक्षा बजट का संचालन करेंगे।

डीएसडब्ल्यू की देखरेख में समिति कम से कम दो महीने में अपनी एक बैठक आयोजित करेगी।

कुल सदस्यों का एक-तिहाई सदस्य समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति बनायेगा।

अध्यादेश-36

परीक्षाओं की समतुल्यता पर समिति

[खण्ड 28(10)(जी)]

1. निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी परीक्षाओं की समतुल्यता पर एक स्थाई समिति होगी, जो हैं%

2. समिति के कार्य होंगेः

(1) संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता की रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य विश्वविद्यालयों/बोर्ड/संस्थानों के नए पाठ्यक्रम/ परीक्षाओं की मान्यता के संबंध में प्रस्ताव पर विचार करना, जो अधिष्ठाता अध्ययन के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के मानकों की जाँच कर चुका हो तथा अन्य विश्वविद्यालयों/बोर्ड/संस्थानों की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की संबंधित परीक्षाओं के समतुल्य रूप में अकादमिक परिषद को सिफारिश करना।

(2) सभी मामले, जो उसे संदर्भित किये जाते है, उन पर अकादमिक परिषद को रिपोर्ट करना।

(3) किसी अन्य विश्वविद्यालय एवं संस्थान से प्राप्त परीक्षा की मान्यता के लिए अनुरोध पर विचार करना।

(4) किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधि/डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र की मान्यता के लिए गतिशील आवेदनों का मामला तैयार करना।

(5) देश के भीतर तथा बाहर विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों की संबंधित उपाधि/डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र को समतुल्य करना।

3. समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य समिति की एक बैठक के लिए गणपूर्ति का निर्माण करेंगे।

अध्यादेश 38

आगंतुक शोधकर्ता

[धारा 6 (xvi) संविधि 12 (xviii)]

1. एक आगंतुक शोधकर्ता को, अपने विषय का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए।

2. सत्तर वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त व्यक्तियों को भी आगंतुक शोधकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता हैं। आगंतुक शोधकर्ता का न्यूनतम कार्यकाल एक सप्ताह से कम और तीन महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

3. आगंतुक शोधकर्ता को एक माह तक आने के लिए प्रति दिन रूपये 600/- से अधिक दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जा सकता है। एक महीने से अधिक बार आने के लिए, उक्त दर आगंतुक प्रोफेसर के अनुसार हो सकती है।

4. यात्रा खर्च का वहन विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

5. मूल संस्था, आगंतुक शोधकर्ता के रूप में नियुक्ति की अवधि का वेतन और सामान्य भत्तों के साथ अकादमिक छुट्टी देगी।

6. मेजबान विश्वविद्यालय अतिथि गृह में आगंतुक शोधकर्ता के लिए निःशुल्क आवास उपलब्ध कराएगी, परन्तु आगंतुक शोधकर्ता द्वारा भोजन शुल्क का भुगतान स्वयं किया जाएगा।

7. एक ही व्यक्ति को एक ही विश्वविद्यालय में एक वर्ष में एक से अधिक बार आगंतुक शोधकर्ता के रूप में आमंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक वर्ष की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा तीन महीनों की अवधि को विभाजित किया जा सकता है।

प्रो. एस.एल. हीरेमठ, कुल सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./143/17]

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

NOTIFICATION

Gujarat, the 4th July, 2017

No. 2-4/2009-Admn./1241.—The following is published for general information:—

Ordinance 23

ADMISSION OF STUDENTS TO THE UNIVERSITY

(For Regular on Campus Mode)

Act Section 6(xvii), 28(1)(A)

1. Application form for admission to the various programmes offered by University shall be as prescribed by the Academic Council of the University from time to time.
2. The last date for the receipt of applications for admission to various Schools of the University shall be fixed each year by the Academic Council.
3. The last date for admission to the Schools of the University shall be fixed each year by the Academic Council.
4. The number of students to be admitted in the Schools of the University in the coming session shall be prescribed each year by the Academic Council.
5. Admission of students shall be made strictly on the basis of merit adjudged through All India Common Entrance Test wherever applicable aimed at assessing knowledge, comprehension and aptitude of the student to pursue higher studies through written test/ viva/ group discussion/ personal interview or a combination of these.
6. However, provided that in case of courses where the intake of students is small, admission shall be made on the basis of the merit adjudged through the marks obtained in the qualifying examination. The decision to this effect will be taken by the Academic Council on the recommendation of the School Board.

7. The Entrance Examination shall be held at headquarters and other such places as notified by the University from time to time.

8. During an entrance examination the candidates shall be under the disciplinary control of the Chief Superintendent to be appointed by the Controller of Examinations, whose instruction on the conduct of examination shall be final and binding.

9. If a candidate disobeys instruction or misbehaves with any member of the supervisory staff or with any of the invigilators at the Centre, he/she may be expelled from the examination.

10. The Chief Superintendent shall immediately report the facts of such a case with full details of evidence to the Controller of Examinations who will refer the matter of the Examination Discipline Committee for such further action as the Committee may deem fit.

11. Relevant provisions aimed at maintenance of discipline during entrance examinations of the relevant Ordinance shall be applicable to entrance examinations wherever applicable.

12. The syllabi, format, duration, scheme of evaluation of the entrance examination shall be decided by the Admission Committee and approved by the Academic Council.

13. Minimum qualifications for admission to the programmes in various Department/ Centres shall be prescribed by the Academic council in consultation with the Dean of the School/ Chairpersons of the Centres each year, subject to the concession provided for by the Regulations.

14. In cases of a tie/ bracketed scored in the marks scored in the entrance test, the marks obtained in the qualifying exam will be taken in consideration for deciding merit.

15. Only such candidates who have passed an examination of an Indian University / Board established or recognized by State. Central governments or such other examinations as has been recognized equivalent by State/ Central Governments/ University shall be considered for admission.

16. 15% of the seats in the academic programmes offered by the University shall be reserved for students belonging to Scheduled Caste, 7 ½ % for students belonging to Scheduled Tribe and 27% for students belonging to Other Backward Classes.

    Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from special provisions for admission of women, persons with disabilities or of persons belonging to the weaker sections of the society and , in particular, of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the other socially and educationally backward classes of citizens.

    Provided further that no such special provision shall be made on the ground of domicile.

17. The Commencement of classes for all course, other than professional courses, shall be governed by the UGC norms concerning Minimum Standards of Instruction for the Grant of Degrees as issued and amended from time to time.

18. The minimum and maximum duration for the programmes offered by the University shall be prescribed by the Academic Council in conformity with requirements of regulations prescribed by national regulatory bodies from time to time.

19. A candidate shall be admitted to the programme in School on his/her enrollment as a student of the University after paying the fee prescribed by the University

20. If at any time it is discovered that a candidate has made a false or incorrect statement of other fraudulent means have been used for securing admission his/her name shall be removed from the rolls of the University.

Ordinance No. 25

Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions

[Act Section 28 (n)]

Ragging is prohibited and punishable under the UGC Regulations on “Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (2009)” as issued and amended by the UGC from time to time.

Ordinance No. 29

EQUIVALENCE COMMITTEE FOR

RECOGNITION OF EXAMINATIONS/DEGREES

[Section 28 1 (0) of the Act]

Composition

There shall be an Equivalence Committee consisting of the following members:

(1)	Pro-Vice-Chancellor or nominee of Vice-Chancellor	Chairman
(2)	Deans of the Schools	Members
(3)	One person nominated by the Academic Council from amongst its members for a period of three years	Member
(4)	Controller of Examinations	Member
(5)	Registrar	Secretary

Functions

The functions of this Committee shall be:

1. To examine and recommend to the Academic Council equivalence of such examinations/degrees as may be referred to it from time to time including those of foreign Universities.
2. To examine and recommend to the Academic Council the withholding, suspension or cancellation/ recognition to any examination/degree for such reasons and such time as it may deem fit.
3. The Committee may invite a domain expert, wherever necessary, to assist it in its functioning.

Rules of Business

The Committee shall frame the Rules of business and lay down guidelines for consideration and approval of the Academic Council. The Academic Council may delegate any of its powers, in this behalf, to the Equivalence Committee.

Ordinance No. 30

ADMISSION, ENROLENT, MIGRATION AND

TRANSFER OF STUDENTS

[Section 28(0) of the Act]

1. No student shall be eligible for admission to any Under-Graduate or Post-Graduate Course of study under this University on migration from any other University or Board unless he has passed the equivalent examination or examinations of the University or Board as prescribed by the Ordinances for admission to the concerned Course or Courses by this University.

   Provided that the application for admission must be supported by :

   (a) A migration/no objection certificate from the concerned University/Board; and

   (b) A certificate from the Head of the Institutions in which last studied testifying the record of attendance and conduct of the student.

   Transfer of a student from one affiliated College to another (wherever applicable) during a particular Course of study shall be permitted only on the production of:

   (i) A transfer/no objection certificate issued by the Principal of the College from which the migration is sought;

   (ii) Certified copies of the report of attendance against his name in the register of students of the College concerned; and

   (iii) A certificate from the University / College testifying to the conduct of the student.

Ordinance No. 31

DEANS' COMMITTEE

[Section 28 (1) and (0) of the Act]

1. The University shall constitute a Committee of Deans of the University to be known as the Deans' Committee.
2. The Deans' Committee shall comprise the following:

i.	The Vice Chancellor	- Chairman (Ex-Officio)
ii.	All Deans of Schools	-Members (Ex-Officio)
iii.	Registrar	-Secretary

3. The functions of this Committee will be as follows:
   a. To recommend deputation of teachers for International Conferences;
   b. To consider such matters as may be necessary arising from the conduct of examinations, standard of result, etc;
   c. To consider general administrative matters relating to functioning of Schools and Centre; and
   d. To consider such other matters as may be assigned to it by the Executive Council or may be referred to by the Vice-Chancellor.
4. The meetings of the Deans' Committee shall be convened by the Chairperson.
5. The quorum of the Committee shall be 1/3rd of the total number.
6. The rules of conduct of meetings shall be as may be prescribed by Regulations in this regard.

Ordinance No. 32

ADMISSION COMMITTEE

[Section 6(xvii)]

There shall be Admission Committee of the University for all the Programmes. It will comprise the following:

(i) Chairperson of Admission Committee - to be nominated by VC.

(ii) One faculty member from each Centre/School (where there is no centre) – to be nominated by Dean.

(iii) One person each representing SC/ ST / OBC/ Women and Minorities from the teaching community preferably if not already represented by the above members - to be nominated by VC.

The Committee will look after the admission of the university by following procedures laid down by the Academic Council.

Ordinance No. 33

STUDENTS DISCIPLINE

[Section 6(xii), Statute 28(1)]

1. Discipline includes the observance of good conduct and orderly behaviour by the students of the University;
2. The following and such other Rules as framed by the University from time to time, shall strictly be observed by the students of the University;
   (i) Every student of the University shall maintain discipline and consider it his/her duty to behave decently at all places;

(ii) No student shall visit places or areas declared by the University as "Out of Bounds" for the students;

(iii) Every student shall always carry on his/her Identity Card issued by the competent authority;

(iv) Every student, who has been issued the Identity Card, shall have to produce or surrender the Identity Card, as and when required by the University;

(v) Any Student found guilty of impersonation or of giving a false name shall be liable to disciplinary action;

(vi) The loss of the Identity Card, whenever it occurs, shall immediately be reported in writing to the competent authority; and

(vii) If a student is found to be continuously absent from Classes without information for a period of 15 days in one or more Classes, his/her name shall be struck off the rolls. He/she may, however, be readmitted withing the next fortnight by the Dean on payment of the prescribed readmission fee etc. He/she will not be readmitted beyond the prescribed period.

3. Indiscipline shall include:

(i) Irregularities in attendance, persistent idleness or negligence or indifference towards the work assigned;

(ii) Causing disturbance to a Class or the Office or the Library, the auditorium and the Play Ground etc.;

(iii) Disobeying the instructions of teachers or the authorities;

(iv) Misconduct or misbehaviour of any nature at the time of elections to the student bodies or at meetings or during curricular or extra-curricular activities of the University;

(v) Misconduct or misbehaviour of any nature at the Examination Centre;

(vi) Misconduct or misbehaviour of any nature towards a teacher or any employee of the University or any visitor to the University;

(vii) Causing damage, spoiling or disfiguring to the property/equipment of the University;

(viii) Inciting others to do any of the aforesaid acts;

(ix) Giving publicity to misleading accounts or rumour amongst the students;

(x) Mischief, misbehaviour and/or nuisance committed by the residents of the hostels;

(xi) Visiting places or areas declared as 'out of bounds' for the students;

(xii) Not carrying the Identity cards issued by the Proctor;

(xiii) Refusing to produce or surrender the Identity Card as and when required by Proctorial and other Staff of the University.

(xiv) Any act and form of sexual harassment, ragging or discrimination on the basis of caste, category, religion, race;

(xv) Engaging in unlawful activities that includes membership of banned organizations, organizing meetings and processions without due permission of the competent authorities; and

(xvi) Any other conduct anywhere which is considered to be unbecoming of a student.

4. Students found guilty of breach of discipline shall be liable to such punishment, as prescribed below:

(1) Fine;

(2) Campus Ban;

(3) Expulsion; and

(4) Rustication.

However, no such punishment shall be imposed on an erring student unless he/ she is given a fair chance to defend himself / herself. This shall not preclude the Vice-Chancellor from suspending an erring student during the pendency of disciplinary proceedings against him / her.

5. All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to the student shall vest in the Vice Chancellor. However, the Vice Chancellor may delegate all or any of his powers as he deems proper to the competent authority or to the Discipline Committee as the case may be or any functionary of the University.

6. (i) Without prejudice to Section 11(5) and also Statute 28(1), there shall be a Discipline Committee comprising of the following members:

   (i) Vice Chancellor's nominee or Pro-Vice Chancellor

   (ii) Dean Students' Welfare

   (iii) Deans of the Schools

   (iv) Warden, who shall be invited, when the matter concerning his/her Hall of Residence is required to be placed before the Committee for consideration

   (v) Proctor (Member/Secretary)

   (ii) Subject to any powers conferred by the Act and the Statute on the Vice Chancellor, the Committee shall take cognizance of all matters relating to discipline and proper standards of behaviour of the students of the University and discipline and shall have the powers to punish the guilty as it deems appropriate.

   (iii) The said Committee shall, make such Rules as it deems fit for the performance of its functions and these Rules and any other Orders under them shall be binding on all the students of the University.

   (iv) The recommendations of the Discipline Committee shall be submitted to the Vice Chancellor whose decision will be final and binding. However, the Vice Chancellor, if he is of the opinion that the case merits' review, may refer the case back to the Discipline Committee for reconsideration.

   (v) One-third of the total members shall constitute the quorum for a meeting of the said Committee.

Ordinance No. 34

VISITING PROFESSORS

[SECTION 6(XVI), STATUTE 12(XVIII)]

1. A VISITING Professor should be an eminent scholar in his/her field. Generally, a person who has held or is holding the post of Professor or a person who has achieved distinction outside the University sector, should be considered for appointment as Visiting Professor.

2. The maximum tenure of appointment of a Visiting Professor shall be two years and the minimum – not less than three months.

3. The University may appoint a person up to the age of 70 years as a Visiting Professor.

4. A Professor should not be appointed as a Visiting Professor in the same University in which he/she holds a post immediately before or after superannuation.

5. If a superannuated person is appointed as a Visiting Professor, the honorarium payable should not exceed Rs. 15,000/- p.m. excluding any superannuation benefits.

6. A person appointed as Visiting Professor from outside the country shall be paid an honorarium of up to Rs. 20, 000/- p.m.

7. In case a person serving in an Indian University is appointed as Visiting Professor, the honorarium payable should be determined on the basis of salary plus 10% of the basic pay

plus dearness allowance, and other allowances, if any admissible (except conveyance allowance, if any) as per the rates of the parent University. The receiving University would also contribute towards pensionary benefits or CPF/GPF as per usual Rules.

8. It is expected that when a serving person is appointed as Visiting Professor, the parent University would give him/her duty leave without pay.

9. If a person working abroad on a permanent basis is invited as a Visiting Professor, the University may meet the cost of international air travel from expenses within India in accordance with the Rules of the University.

10. Guest House accommodation will be provided free of charge by the host University, but food charges would be paid by the Visiting Professor.

11. **Travelling honorarium and other allowances will be governed by UGC/MHRD regulations and Stipulations as amended from time to time.**

Ordinance No. 35

GAMES AND SPORTS COMMITTEE

[SECTION-28(I)]

1. (a) There shall be a Games and Sports Committee consisting of the following members, namely:

   (1) Chairman, appointed by the Vice Chancellor

   (2) Dean Students'welfare

   (3) Presidents of various Games and Sports Clubs

   (4) One outstanding sportsman from among the students on rolls, nominated by the Chairman for a period of one year

   (5) Director of Physical Education, who shall be the Ex-Officio Secretary of the Games and Sports Committee

   (b) The Chairman of the Committee shall hold office for a term of two years.

2. The Committee shall:

   1) make arrangements and supervise the games and sports of the University and frame Regulations in this regard;

   2) frame the budget for games and sports;

   3) allocate finances to the various Clubs;

   4) maintain the play-grounds, gymnasia, swimming pools of the University;

   5) hold contests, competitions, tournaments, atheletic meets etc.;

   6) recommend to the Vice Chancellor the names of outstanding players and sportsmen to be nominated for admission

   7) perform such other functions, as may be assigned to it by the Academic Council from time to time; and

   8) take measures to attract the sports talent available in the University.

The Director, P/E will operate the budget under the supervision of DSW.

The Committee shall hold its meetings at least once in two months under the supervision of the DSW.

One-third of the total members shall form the quorum for a meeting of the Committee.

Ordinance No. 36

COMMITTEE ON EQUIVALENCE OF EXAMINATIONS

[SECTION-28 10(g)]

1. There shall be a standing Committee on Equivalence of Examinations consisting of the following members, namely:

2. The functions of the Committee shall be

   1) to consider the proposal in respect of the recognition of new courses/examinations of other Universities/Boards/ Institutions together with the report of the Dean of the School concerned who has examined the courses of study and the standard of the Courses and to recommend to the Academic Council the Examinations of other Universities/Boards/Institutions as Equivalent to the corresponding examinations of the University.

   2) to report to the Academic Council on all matters, which are referred to it:

   3) to consider request for recognition of Examination received from other Universities and Institutions and submit its recommendations to the Academic Council; and

   4) to prepare a case of moving application for seeking recognition of Degrees/Diplomas and certificate awarded by the University.

   5) equivalent to the corresponding Degrees/Diplomas and certificate of Universities and other institutions within and outside the country.

1. Not less than half the total number of members of the committee shall constitute the quorum for a meeting of the committee.

Ordinance No. 38

Visiting fellow

[Section 6(xvi) Statute 12(xviii)]

1. A Visiting Fellow should be a scholar of eminence in his/her subject.
2. Superannuated persons up to the age of 70 years may also be considered for appointment as Visiting Fellow. The minimum tenure of a Visiting Fellow should not be less than a week and maximum- up to three months.
3. The Visiting Fellow may be paid daily allowance not exceeding Rs. 600/- per day for visits up to one month. For visits beyond one month, the rate may be as in the case of Visiting Professor.
4. Travel expenses may be met in accordance with the Rules of the University.
5. The parent institution will grant academic leave with pay and usual allowance for the duration of the appointment as Visiting Fellow.
6. The host University would provide accommodation to the Visiting Fellow in the University Guest House free of charge, but food charges would be paid by the Visiting Fellow.
7. The same person may not be invited as Visiting Fellow more than once in a year in the same University, but the period of 3 months can be split up as desired by the University within the period of one year.

Prof. S. L. HIREMATH, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./143/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.11 23:03:30 +05'30'